

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास विभाग

संख्या 1033/VII-1/2015/146-ख/2010

देहरादून: दिनांक: 31 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का दोहन आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से सुनिश्चित करने, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण करने, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने, खनिजों से राजस्व में वृद्धि करने तथा अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की पूर्ति एवं मानव संसाधनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 एवं उसमें संशोधन विषयक शासनादेश संख्या 608/VII-1/2013/146-ख/2010, दिनांक 22 मार्च 2013 को अधिकृत करते हुए खनिज विकास एवं राजस्व हित में निम्नवत् उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर, ईट आदि) नीति, 2015 प्रख्यापित जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

**उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर, ईट आदि) नीति, 2015**

- |                           |    |  |
|---------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर, ईट आदि) नीति, 2015 है।<br>(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।   |
| परिभाषाएं                 | 2. | जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो—<br>(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;<br>(ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;<br>(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;<br>(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;<br>(ङ) "स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी, जो क्रमशः नगर पंचायत नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त है;<br>(च) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं सम्मिलित है; |

4

- (छ) पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र -क):- के अंतर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ सम्मिलित है;
- (ज) मध्य पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र-ख):- के अंतर्गत जिला टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोडकर), पौडी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोडकर), अल्मोडा (सम्पूर्ण भाग) चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोडकर), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोडकर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोडकर) सम्मिलित है;
- (झ) मैदानी क्षेत्र (क्षेत्र -ग):- के अंतर्गत जिला टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौडी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर के सम्पूर्ण भाग, सम्मिलित है;
- (ञ) "शब्द और पद" जो परिभाषित नहीं है परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये हैं।

### खनिज की मात्रा का 3. आंकलन

राज्य के उपखनिज क्षेत्रों को भौगोलिक स्थिति एवं उपखनिजों के बाजार मांग के दृष्टिगत राज्य के उपखनिज क्षेत्रों को निम्न तीन क्षेत्रों (Zones) में विभाजित किया जाता है :-

(1) पर्वतीय उपखनिज क्षेत्र (क्षेत्र-क):- जनपद उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ के समस्त उपखनिज क्षेत्र पर्वतीय उपखनिज क्षेत्र के अन्तर्गत होंगे। उक्त क्षेत्रों हेतु लाटरी आधार मूल्य तत्समय निर्धारित लाटरी आधार मूल्य का 50 प्रतिशत तथा उपखनिज की रायल्टी दर तत्समय निर्धारित रायल्टी दर का 50 प्रतिशत लागू होगा।

उक्त पर्वतीय जनपदों में खनिजों के अभिवहन पर वन विभाग द्वारा ट्रान्जीट शुल्क (Transit Fee) नहीं लिया जायेगा।

उक्त पर्वतीय जनपदों में नदी खनन क्षेत्रों से उपखनिज की निकासी अधिकतम 1 मी० की गहराई तक अथवा ग्राउन्ड वाटर लेबल जो भी कम हो तक किया जायेगा।

उक्त पर्वतीय जनपदों में नदी खनन क्षेत्रों में उपखनिज की मात्रा निम्न फार्मूले के आधार आंगणित की जायेगी :-

खनिज की मात्रा (टन में) = क्षेत्रफल (वर्ग मी० में) X 1.00 मी० गहराई X 2.2 बल्क डेन्सिटी।

(2) मध्य पर्वतीय उपखनिज क्षेत्र (क्षेत्र-ख):- जिला टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोडा (सम्पूर्ण भाग) चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) के समस्त उपखनिज क्षेत्र मध्य पर्वतीय उपखनिज क्षेत्र के अन्तर्गत होंगे। उक्त क्षेत्रों हेतु लाटरी आधार मूल्य तत्समय निर्धारित लाटरी आधार मूल्य का 75 प्रतिशत तथा उपखनिज की रायल्टी दर तत्समय निर्धारित रायल्टी दर का 75 प्रतिशत लागू होगा।

उक्त मध्य पर्वतीय क्षेत्रों (क्षेत्र-ख) में नदी खनन क्षेत्रों से उपखनिज की निकासी अधिकतम 1 मी० की गहराई तक अथवा ग्राउन्ड वाटर लेबल जो भी कम हो तक किया जायेगा।

उक्त मध्य पर्वतीय जनपदों में नदी खनन क्षेत्रों में उपखनिज की मात्रा निम्न फार्मूले के आधार आंगणित की जायेगी-

खनिज की मात्रा (टन में) = खनन क्षेत्रफल X 1.00 मी० गहराई X 2.2 बल्क डेन्सिटी।

(3) मैदानी उपखनिज क्षेत्र (क्षेत्र-ग):- जिला टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग के समस्त उपखनिज क्षेत्र मैदानी उपखनिज क्षेत्र के अन्तर्गत होंगे। उक्त क्षेत्रों हेतु लाटरी आधार मूल्य तत्समय निर्धारित लाटरी आधार मूल्य का शतप्रतिशत तथा उपखनिज की रायल्टी दर तत्समय निर्धारित रायल्टी दर का शतप्रतिशत लागू होगा।

उक्त मैदानी क्षेत्रों (क्षेत्र-ग) में नदी खनन क्षेत्रों से उपखनिज की निकासी अधिकतम 1.5 मी० की गहराई तक अथवा ग्राउन्ड वाटर लेबल जो भी कम हो तक किया जायेगा।

उक्त मैदानी जनपदों में नदी खनन क्षेत्रों में उपखनिज की मात्रा निम्न फार्मूले के आधार पर आंगणित की जायेगी:-

खनिज की मात्रा (टन में) = खनन क्षेत्रफल X 1.5 मी० गहराई X 22 बल्क डेन्सिटी।

निजी पट्टाधारकों पर भी रिवर ट्रेनिंग रायल्टी का 15 % एवं विकास शुल्क रायल्टी का 10 % अतिरिक्त रूप से देय होगा। मैदानी क्षेत्रों में निगमों एवं निजी पट्टाधारकों के लिये खनन पट्टा क्षेत्रों से उपखनिजों का विक्रय मूल्य एक समान होगा।

खनन चुगान कार्य 4.  
कराये जाने की  
प्रक्रिया

(1) निगमों द्वारा चुगान/खनन का कार्य लाटरी (Lottery) प्रक्रिया के माध्यम से चयनित व्यक्ति/संस्था से प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु से लाटरी कराकर खनन सत्र 01 अक्टूबर से आगामी 15 जून तक होगा। उक्त लाटरी (Lottery) में 05.00 है० से कम क्षेत्रफल के लिये जिले स्तर पर जनपद के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समितियों जो को-आपरेटिव सोसाईटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा 5.00 है० ऊपर के लिये राज्य के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति जो को-आपरेटिव सोसाईटी एक्ट अथवा कम्पनीज एक्ट अथवा पार्टनरशिप एक्ट एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा निजी व्यक्तियों को अवंटित किया जायेगा। लाटरी (Lottery) में चयन हेतु उपलब्ध उपखनिज की मात्रा पर रायल्टी की आंगणित धनराशि, जिसका उल्लेख लाटरी (Lottery) में किया जायेगा पर लाटरी दाता को पात्र मानते हुये चयन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(2) निगमों द्वारा छोड़े गये लाटो की पर्यावरणीय स्वीकृति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा करवाते हुए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा घोषित खनन लाटो को लाटरी (Lottery) के माध्यम से 5.00 है० तक के खनन लाट जनपद स्तर पर जनपद के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति, जो को-आपरेटिव सोसाईटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा 5.00 है० से ऊपर तक खनन लाट राज्य के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति, जो को-आपरेटिव सोसाईटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा निजी व्यक्तियों को जिलाधिकारी के द्वारा आवंटित किया जायेगा। लाटरी (Lottery) में चयन हेतु उपलब्ध उपखनिज की मात्रा पर रायल्टी की आंगणित धनराशि, जिसका उल्लेख लाटरी (Lottery) में किया जायेगा, पर सफल लाटरी दाता को पात्र मानते हुए चयन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। चुगान/खनन का कार्य लाटरी (Lottery) प्रक्रिया के माध्यम से चयनित व्यक्ति/संस्था से प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु से लाटरी कराकर खनन सत्र 01 अक्टूबर से आगामी 15 जून तक

होगा।

- (3) स्वस्थित चट्टानों/नदी तल से सम्बन्धित निजी नाप भूमि में खनन पट्टे निजी व्यक्तियों/स्थानीय व्यक्तियों को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार बिना विज्ञापितकरण के खनन पट्टे पांच वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें भूस्वामी अथवा भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक, जो उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो तो उसे खनन पट्टा दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी। खनन/चुगान हेतु देय रायल्टी मात्रा का आगणन लाटरी व्यवस्था एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के अध्याय-2 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार होगी। इस हेतु आवेदन शुल्क रू 1.00 लाख होगा।
- (4) मैदानी क्षेत्र यथा विकासनगर, देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश, हल्द्वानी, उधमसिंहनगर, रामनगर तथा हरिद्वार को छोड़कर पर्वतीय क्षेत्रों में निजी भवन के निर्माण हेतु भवन के स्टीमेट, जो क्षेत्रीय पटवारी/राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, के आधार पर 150 घन मीटर तक की निर्माण सामग्री (उपखनिज बालू/बजरी/बोल्डर) चिन्हित नदी तल से चुगान की अनुमति ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। उपयोग में आने वाले उपखनिज का परिवहन प्रपत्र एम०एम०-11 पर किया जायेगा।

आशय पत्र:-

5. (क) निजी नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर एवं पत्थर के खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा पत्र हेतु ई०आई०ए० नोटिफिकेशन-2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति के उपरान्त शासन के द्वारा जारी किया जायेगा।
- (ख) निगम के आशय पत्र (Letter of Intent) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा जारी किया जायेगा।

खनन प्रशासन का सफल संचालन

6. (1) खनन पट्टा क्षेत्रों से निकासी किये गये उपखनिज की मात्रा आंगणन आयतन (Volume) में न करके भार (Weight) के अनुसार किया जायेगा।
- (2) राज्य के समस्त नदी तल उपखनिज क्षेत्रों से उपखनिज का चुगान का कार्य निदेशक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम 34 के अनुसार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। इस हेतु आवेदन शुल्क रू 50,000/- देय होगा।



- (3) प्रत्येक पट्टाधारक के द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के निकासी गेटों पर कम्प्यूट्राइज्ड धर्मकांटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित किया जायेगा तथा रिकार्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के जिला कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। सी0डी0 के परीक्षणोपरान्त रिपोर्ट निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के द्वारा शासन को प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) खनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों पर आर0आई0एफ0डी0 (RIFD) विप्स कमबद्ध (Phased manner) वाहन स्वामियों के व्यय पर लगाया जायेगा।
- (5) खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रपत्र एम0एम0-11, मुख्य खनिजों के परिवहन हेतु प्रपत्र क एवं भण्डारण/केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल से खनिजों के परिवहन हेतु प्रपत्र जे के स्थान पर ई-रवन्ना (E-Ravana) कमबद्ध (Phased manner) लागू किया जाय।
- (6) पट्टाधारक के द्वारा पट्टा क्षेत्र से निकासी किये गये खनिज एवं भण्डारणकर्ता द्वारा क्रय एवं विक्रय किये गये खनिज का मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपद स्तरीय कार्यालयों में प्रत्येक माह प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। समयान्तर्गत मासिक विवरण प्रस्तुत न करने पर पट्टाधारक/खनन भण्डारणकर्ता पर प्रत्येक माह रू0 2000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
- (7) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2015 में अवैध खनन से सम्बन्धित वाहनों को जब्त करने तथा दण्ड अधिरोपित करने हेतु खान अधिकारी, ज्येष्ठ खान अधिकारी/उप निदेशक खनन एवं मुख्य खान अधिकारी/संयुक्त निदेशक खनन को अधिकृत किया जाता है।
- (8) खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा पत्रों हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपद स्तरीय कार्यालयों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा आवेदन पत्रों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाचोंपरान्त पूर्ण आवेदन पत्र खान अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी को अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।
- (9) प्रत्येक पट्टाधारक/अनुज्ञापत्र धारक को चुगान/खनन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।



विविध

7. (1) ईट भट्टा के स्वीकृति/संचालन हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र एम0एम0-8 में जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित आवेदन शुल्क रु 5.00 लाख (रु पांच लाख) सहित प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर ईट भट्टा स्वीकृति/संचालन सम्बन्धी अनुज्ञा 01 वर्ष की अवधि के लिये प्रपत्र एम0एम0 10 स्वीकृत किया जायेगा। ईट भट्टों के पायों के आधार पर देय रायल्टी समाधान योजना के अनुसार खान अधिकारी के द्वारा आंगणित की जायेगी। ईट भट्टा स्वामी द्वारा अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त ईट भट्टे का पंजीकरण वाणिज्यकर विभाग एवं खनन निदेशालय में किया जाना आवश्यक होगा। ईट भट्टा स्वामी के द्वारा विक्रित किये गये ईटों का लेखा-जोखा सम्बन्धी सत्यापित रजिस्टर ईट भट्टा स्थल पर रखा जायेगा तथा विक्रित ईटों की मासिक विवरणी जिला कार्यालय, वाणिज्य कर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म के जिला कार्यालयों में प्रस्तुत की जायेगी। ईट भट्टे से न्यूनतम 15 पायें हेतु 20.00 लाख ईट उत्पादन का मानक निर्धारित करते हुए और प्रति पाया 1.00 लाख ईट अतिरिक्त मानते हुए गणना की जायेगी। समाधान योजना में भुगतान एकमुश्त/त्रैमासिक किस्त में किया जायेगा।
- (2) जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा जलाशय/सुरंग (Tunnel)/नहर आदि के निर्माण कार्य से निकलने वाले Muck (उपखनिज पत्थर/बोल्डर/बालू आदि) को परियोजना के निर्माण कार्य में उपयोग हेतु परियोजना के निर्माण आगणन (Estimate) की जांच/निरीक्षण व मूल्यांकन ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक से कराते हुए उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 68 के अन्तर्गत नियम 72 को शिथिल करते हुए नियमानुसार खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति शासन के द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति के आधार पर दी जायेगी।
- (3) सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ), सिंचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुंच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण आगणन (Estimate) की जांच/निरीक्षण व मूल्यांकन ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक से कराते हुए उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के



नियम 68 के अन्तर्गत नियम 72 को शिथिल करते हुए नियमानुसार खनन अनुज्ञा पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। यह प्रक्रिया राज्य के जलाशयों एवं नहरों में जमा उपखनिज की सफाई/निकासी के लिए भी अपनायी जायेगी।

- (4) भवनों के बेसमेन्ट से मिट्टी की खुदाई व निजी भूमि से व्यवसायिक उपयोग के लिए मिट्टी की खुदाई व भूमिधरी/निजी नाप भूमि, जो नदी तल से बाहर स्थित है, हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में किये गये संशोधन प्रभावी होंगे।
- (5) विभाग द्वारा चिन्हित 20 कि०मी० की परिधि में खनन क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में डी०जी०बी०आर० (ग्रेफ), बी०आर०ओ० आदि, जो उत्तराखण्ड राज्य के सीमावर्ती जनपदों में सड़क निर्माण का कार्य में लगी सरकारी कार्यदायी संस्थाओं को सीधे खनन पट्टे आवंटित किये जायेंगे।

जिला  
फाउन्डेशन

खनिज 8.

जिला खनिज फाउन्डेशन : (District Mineral Foundation)-

- (1) राज्य के प्रत्येक जनपद जो खनन संक्रियाओं से प्रभावित है के लिये राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से एक लाभरहित ट्रस्ट की स्थापना करेगी जिसे जिला खनिज फाउन्डेशन कहा जायेगा।
- (2) जिला खनिज फाउन्डेशन का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हितों के लिये कार्य करना होगा जो खनन सक्रियाओं से प्रभावित हों जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।
- (3) जिला खनिज फाउन्डेशन की संरचना निम्नवत होगी:-
  - (क) संबंधित जिले का जिलाधिकारी- अध्यक्ष।
  - (ख) संबंधित जिले का मुख्य विकास अधिकारी- सदस्य।
  - (ग) संबंधित जिले का जिला वित्त अधिकारी- सदस्य।
  - (घ) संबंधित जिले का जिला खान अधिकारी- सदस्य।
  - (ङ) ज्येष्ठ खान अधिकारी/मण्डलीय उप निदेशक (खनन)- सदस्य सचिव।

जिला खनिज फाउन्डेशन का कार्य निम्नवत होगा:-


- (1) जिला फाउन्डेशन के द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों/क्षेत्रों हेतु जिला फाउन्डेशन में जमा धनराशि को उनके हितों के लिये उपयोग में लाया जायेगा तथा व्यय की गयी धनराशि का प्रत्येक छः माह का विवरण क्षेत्रवार एवं व्यक्तिवार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रेषित किया जायेगा, जिनके द्वारा



शासन को अवगत कराया जायेगा।

नदी तल प्रबन्धन हेतु 9.  
रणनीति

- (2) पट्टाधारक के द्वारा राज्य सरकार को जमा की जाने वाली रायल्टी/पट्टाधनराशि के अतिरिक्त रायल्टी की धनराशि जिला खनिज फाउण्डेशन में जमा की जायेगी।
- (1) राज्य के अन्तर्गत नदी तलों से उपखनिजों के खनन योग्य क्षेत्रों का मानचित्रण निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के द्वारा विशेषज्ञ एजेन्सी से कराया जायेगा।
- (2) नदियों में जमा आर०बी०एम० (बालू, बजरी एवं बिल्टर मिश्रित रूप में) से नदी के किनारे स्थित आबादी क्षेत्रों, कृषि योग्य भूमि आदि की वर्षा काल में सुरक्षा हेतु आपदा के अन्तर्गत तलमार्जन (Dredging) हेतु विशेषज्ञ संस्था से वैज्ञानिक अध्ययन कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा कराई जायेगी।

आज्ञा से,  
  
(राकेश शर्मा)  
अपर मुख्य सचिव।

**विज्ञापितकरण एवं लाटरी प्रपत्र, शर्तें संलग्न के परिशिष्ट**

1. **विज्ञापितकरण-**

नदी तल उपखनिज क्षेत्रों को लाटरी द्वारा खनन पट्टे पर व्यवस्थित किये जाने हेतु न्यूनतम 21 दिन का समय देते हुए विज्ञापितकरण कर लाटरी आमंत्रित की जायेगी।

2. **क्षेत्र का विवरण-**

क्र० सं०	तहसील	खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम	खसरा सं० /गाटा सं०	खनन लॉट का क्षेत्रफल (है० में)	निर्धारित मात्रा (घनमीटर में) प्रतिवर्ष	आधार मूल्य (रु० में) प्रतिवर्ष	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08

3. **लाटरी हेतु निर्वधन-**

- लाटरीकर्ता क्षेत्र की लाटरी डाले जाने से पूर्व क्षेत्र का निरीक्षण कर खनन क्षेत्र की स्थिति तथा खनिज के सम्बन्ध में जानकारी से अपने को आश्वस्त कर ले।
- किसी व्यक्ति को, जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है एवं जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है, लाटरी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
- कोआपरेटिव सोसाइटी के मामलों में भी पट्टा प्राप्त करने वाली कोआपरेटिव सोसाइटी में Common निदेशक नहीं होने चाहिए। कोआपरेटिव सोसाइटी में उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी ही होंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र भी लाटरी का आवेदन देने के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि पट्टा निष्पादन के उपरान्त उपरोक्त तथ्य सामने आता है तो उक्त पट्टा निरस्त करते हुये अग्रिम जमा धनराशि, प्रतिभूति धनराशि आदि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अपात्र कोआपरेटिव सोसाइटी को आगामी पाँच (05) वर्ष हेतु काली सूची में डाल दिया जायेगा।

4. **लाटरी प्रपत्र एवं शुल्क-**

प्रत्येक लाटरीकार से प्रत्येक निविदित क्षेत्र हेतु बिना वापसी का लाटरी शुल्क/लाटरी प्रपत्र मूल्य रु० 5000 लेखाशीर्षक 0853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क, 01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क + 13.5 % वैट अर्थात् रु० 675 लेखा शीर्षक 0040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 102 राज्य व्यापार कर/वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां, 01 कर संग्रहण ट्रेजरी चालान के माध्यम से सम्बन्धित जनपद के कोषागार में जमा कर लाटरी प्रपत्र एम०एम०-17 प्रपत्र-I (लाटरी प्रपत्र), एम०एम०-17 प्रपत्र-II (वित्तीय लाटरी) प्राप्त किये जायेंगे।

4

5. लाटरी प्रपत्र के साथ निम्न संलग्नक होंगे -

(i) आयकर के सम्बन्ध में निम्नानुसार शपथ पत्र :-

(क) अद्यतन आयकर विवरण जमा किया गया है।

(ख) आगणित आयकर जमा किया गया है।

(ग) स्वमूल्यांकन के आधार पर आगणित आयकर जमा किया गया है।

लाटरीकार द्वारा लाटरी प्रपत्रों में अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि किसी लाटरीकार के पास पैन नम्बर नहीं हो तो उसे यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि उसके नाम खनन पट्टा आवंटित होता है, तो वह खनन पट्टा चलाना प्रारम्भ करने से पूर्व आयकर विभाग से पैन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन देकर विभाग को सूचित करेगा अन्यथा उसे दिया गया खनन पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।

(ii) व्यापार कर विभाग का अदेयता-प्रमाण पत्र (विज्ञप्ति से 06 माह पूर्व तक का) या अद्यतन शपथ पत्र।

(iii) जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।

(iv) जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र।

(v) स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो।

(vi) लाटरीकार व्यक्ति या लाटरीकार समिति के विरुद्ध खनन बकाया न होने का अद्यतन शपथ पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित) या खनन अदेयता प्रमाण पत्र।

(vii) निकासी गेट पर इलैक्ट्रानिक तुलाई मशीन लगाये जाने की वचनबद्धता या निकासी गेट के आस-पास अन्य कार्यरत इलैक्ट्रानिक तुलाई मशीन के साथ अनुबन्ध की वचनबद्धता।

6. हैसियत प्रमाण-पत्र-

(1) जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हैसियत प्रमाण या सम्पत्ति प्रमाण-पत्र या समाशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र (Solvency Certificate) अथवा बैंक गारण्टी निवदित क्षेत्र के आधार मूल्य का 10 प्रतिशत के बराबर।

(2) यदि हैसियत प्रमाण पत्र अद्यतन न हो तो, इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इस का शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण पत्र-पत्र तिथि से अद्यतन) लाटरीकार के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है।

(3) हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारण्टी स्वीकार की जा सकेगी।

(4) यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

(5) हैसियत प्रमाण पत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि के एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

7. **बयाना धनराशि (Earnest Money)–**

प्रत्येक लाटरीकार से प्रत्येक निविदित क्षेत्र हेतु बयाना धनराशि के रूप में आधार मूल्य का 02 प्रतिशत सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक/ जिलाधिकारी के पक्ष में उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन कोआपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीकृत बैंक में ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। सफल लाटरीकार को छोड़कर अन्य लाटरीकारों की बयाना धनराशि को वापस कर दिया जायेगा। सफल लाटरीकार की बयाना धनराशि को अग्रिम धनराशि में समायोजित कर लिया जायेगा।

8. **लाटरी द्वारा चयन प्रक्रिया–**

- (1) लाटरी का आवंटन बड़े खनन पट्टा क्षेत्रफल से छोटे खनन पट्टा क्षेत्रफल के अनुसार एक व्यक्ति एक खनन पट्टा के सिद्धान्त के आधार पर होगा।
- (2) समस्त लाटरीकारों में से अधिकतम लाटरी (निविदित मूल्य किसी भी दशा में आधार मूल्य से कम नहीं होना चाहिए) देने वाले लाटरीकार का ही चयन किया जायेगा।

9. **भुगतान की प्रक्रिया–**

लॉटरी/आवेदन में घोषित सफल लाटरीकार निम्नानुसार धनराशि जमा करेगा :-

(1) **सीमांकन शुल्क :-**

- (1) सफल आवेदक को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001 के नियम-17 में निर्धारित सीमांकन शुल्क सीमाबन्धन हेतु जमा किया जाना होगा।
- (2) कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आवंटित लॉटों में सफल लाटरीकार हेतु सीमांकन शुल्क लागू नहीं होगा।

(2) **प्रतिभूति धनराशि:-**

वार्षिक सफल मूल्य को 09 समान किस्तों में विभाजित कर दो किस्तें जिलाधिकारी/प्रबन्ध निदेशक के पक्ष में बंधक उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन कोआपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीकृत बैंक का सावधि जमा या बैंकर्स चैक/बैंक गारण्टी खनन पट्टा विलेख से पूर्व जमा करेगा, जिसका समायोजन अन्तिम दो माह में किया जायेगा।

(3) **समाशोधन क्षमता (Solvency) –** सफल लाटरीकार को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह पट्टावधि में समाशोधन क्षमता को कम नहीं करेगा।

(4) **धनराशि का भुगतान –**

(एक) सफल लाटरीदाता प्रत्येक माह की किस्त 20 तारीख तक ट्रेजरी चालान या निगम के खाते में खनन पट्टा विलेख/एम0ओ0यू0 से पूर्व जमा करायी जायेगी।

(दो) शेष किस्तों का भुगतान ट्रेजरी चालान के माध्यम से प्रत्येक माह की 20 तारीख तक देय होगा।

- (तीन) देय तिथि से एक दिन पूर्व या निर्धारित अवधि को राजकीय अवकाश होने की दशा में उसके पूर्व की तिथि निर्धारित करनी होगी।
- (चार) जमा मासिक अग्रिम किस्त के सापेक्ष ही मासिक खनिजों की मात्रा के परिवहन हेतु प्रपत्र एम0एम0-11 जारी किये जायेंगे। यदि सफल लाटरीकार निर्धारित दिनांक से पूर्व एम0एम0-11 प्राप्त करना चाहता है तो आगामी भुगतान की किस्त जमा कर एम0एम0-11 प्राप्त कर सकता है।
- (पांच) सफल लाटरीकार द्वारा खनन संक्रियायें प्रारम्भ करने के उपरान्त आगामी माह की 20 तारीख तक अग्रिम जमा किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक अग्रिम जमा न किये जाने की दशा में खान अधिकारी द्वारा 10 दिन के भीतर विलम्ब शुल्क 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा किये जाने का नोटिस जारी किया जायेगा।

यदि नोटिस के उपरान्त भी अग्रिम जमा नहीं किया जाता है तो पुनः खान अधिकारी द्वारा 07 दिन के भीतर विलम्ब शुल्क 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से नोटिस जारी किया जायेगा।

उक्त के उपरान्त भी यदि अग्रिम जमा नहीं किया जाता है जिलाधिकारी द्वारा प्रतिभूति व अग्रिम धनराशि का समायोजन करते हुए खनन पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।

पट्टा निरस्तीकरण के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर दूसरी लाटरी प्रक्रिया पूर्ण होने तक अर्थात् जब तक दोबारा नियमित कार्य प्रारम्भ न हो जाय, तब तक की अवधि हेतु उक्त क्षेत्र को दैनिक निकासी के आधार पर स्थानीय लोगों को निकासी हेतु दिया जायेगा और उक्त क्षेत्र में हो रहे प्रतिदिन के राजस्व हानि को पूर्व में आवंटित सफल लाटरीकार के द्वारा जमा समाशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र से वसूल किया जायेगा।

- (छः) यदि खनन पट्टा निरस्त होने तथा अग्रिम जमा जब्त होने के उपरान्त भी कोई देयता बनती है तो खनन पट्टाधारक से पृथक से भू-राजस्व की भांति खनन राजस्व की वसूली की कार्यवाही की जायेगी और पट्टाधारक को 05 वर्ष हेतु काली सूची में डाल दिया जायेगा।

निगमों हेतु उक्त धनराशि सम्बन्धित निगम के पक्ष में निगम के दिशा-निर्देशानुसार जमा की जायेगी।

10. पट्टा विलेख का निष्पादन एवं पंजीकरण :-

- (क) कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आवंटित खनन लॉटो हेतु लाटरी द्वारा चयनित व्यक्ति को निगम के साथ सहमति पत्र (एम0ओ0यू0) प्रबन्ध निदेशक के साथ किया जाना होगा।

- (ख) कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आवंटित खनन लॉटो से भिन्न खनन लॉटों हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जानी होगी :-

- (i) सफल लाटरीकार द्वारा सीमाबन्धन शुल्क जमा करने के उपरान्त प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अधिकतम 15 दिन के अन्तर्गत खनन पट्टे पर धृत होने



वाले क्षेत्र के सीमास्तम्भों के स्थानों को आवेदक को मौके पर राजस्व विभाग एवं वन विभाग की सहायता से खान अधिकारी या खान निरीक्षक द्वारा (नियम 17) चिन्हित किया जायेगा।

- (ii) सीमांकित एवं चिन्हित स्थान पर सफल लाटरीकार द्वारा क्षेत्र में सीमा स्तम्भों का निर्धारित मानकों (नियम 17) के अनुसार खनन क्षेत्र में खड़ा किया जाने का कार्य अधिकतम 03 दिन में पूर्ण कर खान अधिकारी को लिखित रूप में सूचित किया जायेगा।
- (iii) सीमास्तम्भों के क्षेत्र में स्थापित होने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम 03 दिन में बिन्दु 05 में वर्णित अग्रिम जमा धनराशि के साक्ष्यों के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी (स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा सूचित) का आंगणन प्राप्त कर प्रपत्र एम0एम0 06 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हो, निर्धारित स्टाम्प (उपनिबंधन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की सूचना) पर पट्टा विलेख निष्पादन हेतु खान अधिकारी द्वारा 07 दिन में तैयार किया जायेगा।
- (iv) खनन पट्टा विलेख जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम 15 दिन में निष्पादित किया जायेगा।
- (v) जिलाधिकारी से पट्टा निष्पादन के उपरान्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सफल लाटरीकार के व्यय पर होगा।
- (vi) पट्टे की अवधि की सगणना पट्टा विलेख पंजीयन की दिनांक से की जायेगी।
- (vii) यथास्थिति, खान अधिकारी द्वारा क्षेत्र के मानचित्र सहित पट्टा विलेख की एक प्रतिलिपि उसके निष्पादन के उपरान्त पंजीकरण की दिनांक के 15 दिन के भीतर, निदेशक को भेजी जायेगी तथा मूल प्रति खान अधिकारी के कार्यालय में संरक्षित रहेगी। पट्टाधारक एक सत्यापित प्रति अपने पास रखेगा।

11. खनन पट्टा का हस्तान्तरण :

खनन पट्टाधारक की मृत्यु की दशा में केवल परिवार के विधिक वारिस को खनन पट्टा के अवशेष अवधि हेतु हस्तान्तरित होगा।

12. भुगतान की प्रक्रिया -

- (एक) सफल आवेदक प्रत्येक माह की किस्त 20 तारीख तक ट्रेजरी चालान या निगम के खाते में खनन पट्टा विलेख/एम0ओ0यू0 से पूर्व जमा करायी जायेगी।
- (दो) शेष किस्तों का भुगतान ट्रेजरी चालान के माध्यम से प्रत्येक माह की 20 तारीख तक देय होगा।
- (तीन) देय तिथि से एक दिन पूर्व या निर्धारित अवधि को राजकीय अवकाश होने की दशा में उसके पूर्व की तिथि निर्धारित करनी होगी।
- (चार) जमा मासिक अग्रिम किस्त के सापेक्ष ही मासिक खनिजों की मात्रा के परिवहन हेतु प्रपत्र एम0एम0 11 जारी किये जायेंगे। यदि सफल आवेदक निर्धारित दिनांक से पूर्व एम0एम0 11 प्राप्त करना चाहता है



तो आगामी भुगतान की किस्त जमा कर एम0एम0 11 प्राप्त कर सकता है।

(पांच) सफल आवेदक द्वारा खनन संक्रियायें प्रारम्भ करने के उपरान्त आगामी माह की 20 तारीख तक अग्रिम जमा किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक अग्रिम जमा न किये जाने की दशा में खान अधिकारी द्वारा 10 दिन के भीतर विलम्ब शुल्क 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा किये जाने का नोटिस जारी किया जायेगा।

यदि नोटिस के उपरान्त भी अग्रिम जमा नहीं किया जाता है तो पुनः खान अधिकारी द्वारा 07 दिन के भीतर विलम्ब शुल्क 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से नोटिस जारी किया जायेगा।

उक्त के उपरान्त भी यदि अग्रिम जमा नहीं किया जाता है जिलाधिकारी द्वारा प्रतिभूति व अग्रिम धनराशि का समायोजन करते हुए खनन पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।

(छः) यदि खनन पट्टा निरस्त होने तथा अग्रिम जमा जब्त होने के उपरान्त भी कोई देयता बनती है तो खनन पट्टाधारक से पृथक से भू-राजस्व की भांति खनन राजस्व की वसूली की कार्यवाही की जायेगी और पट्टाधारक को 05 वर्ष हेतु काली सूची में डाल दिया जायेगा।

### 13. पट्टा का समर्पण :

चयनित व्यक्ति को आवंटित नदी तल उपखनिज चुगान के खनन पट्टों हेतु चयनित व्यक्ति संचालन में उपयुक्त नहीं पाये जाने की दशा में सम्बन्धित चयनित व्यक्ति द्वारा किया गया समर्पण स्वीकार कर सकती है। इस हेतु उनके द्वारा जमा अग्रिम को जब्त करते हुए समर्पण स्वीकार होगा। उक्त समर्पण में चयनित व्यक्ति का आचरण को आवंटित लॉट में करार की शर्तों की पालन करने में निम्नानुसार उपयुक्त रहा हो :-

- (i) चयनित व्यक्ति को आवंटित लॉट में चयनित व्यक्ति/संस्था अनुबन्ध के निबन्धनों के अनुसार यथा अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में नियमित रहा है।
- (ii) वह खनन परिहार की शर्तों के अनुसार प्रगतिशील योजना के लिए अपेक्षित कदम उठाये हो।
- (iii) वह ऐसे आवेदन करने की तिथि तक सरकार के किन्हीं देयकों के भुगतान में चूक नहीं की है तथा नोटिस अवधि की समाप्ति की तिथि तक सभी देयकों के भुगतान का जिम्मा या तो अग्रिम नगदी में या प्रतिभूति या दोनों के समायोजन के रूप में देता है।

### 14. निकासी की रीति :-

- (1) खनिज परिहार धारक को नियमावली के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एम0एम0 11 पर खनिज निकासी करनी होगी।
- (2) परिवहन प्रपत्र एम0एम0 11 की पुस्तिका निर्धारित शुल्क जमा कर खान अधिकारी/खान निरीक्षक से प्राप्त किया जायेगा।
- (3) खनिज परिहार धारक को खनन पट्टा क्षेत्रफल तथा निर्धारित मात्रा के आधार पर खान अधिकारी द्वारा एक समय में अग्रिम जमा के सापेक्ष प्रपत्र एम0एम0 11 की पुस्तिकायें निर्गत की जायेंगी, जिसका समायोजन खनिज



परिहार धारक द्वारा प्रस्तुत करने के उपरान्त ही आगामी पुस्तिकाओं का वितरण अग्रिम किस्त जमा कर किया जायेगा।

15. विवरणियाँ :-

- (1) खनिज परिहार धारक, पूर्ववर्ती मास के सम्बन्ध में आमामी माह के प्रथम सप्ताह में प्रपत्र एम0एम0 12 में खान अधिकारी को मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- (2) जब कभी भी खनिज परिहार धारक बिन्दु 01 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है, तो वह 400.00 रुपये की शास्ति का भागी होगा।
- (3) खनिज परिहार धारक खनन कार्य में लगाये जाने वाले सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के विधि द्वारा स्थापित कानून का पालन करते हुए विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (4) समस्त परिहार धारक खान नियमावली, 1955 के अन्तर्गत प्रख्यापित प्रपत्रों के अनुसार दैनिक उपस्थिति पुस्तिका तैयार करेगा और सक्षम अधिकारी को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक त्रैमास में खान में लगाये गये श्रमिकों का नाम पता सहित राज्य सरकार के श्रम मंत्रालय के जनपद स्तरीय अधिकारी एवं खान अधिकारी को प्रत्येक त्रैमासिक सूचना आगामी 07 दिनों में उपलब्ध करायेगा।
- (5) बिन्दु 01 के अधीन जमा विवरणियों के आधार पर आगणन अधिकारी (खान अधिकारी) द्वारा प्रत्येक त्रैमास में एक तिथि निर्धारित कर खनिज परिहार धारक से खनिज उत्पादन, खनिज निकासी, खनिज उपयोग एवं खनिज भण्डारण विक्रय के बिल, श्रमिकों की उपस्थिति, भुगतानों एवं अन्य लेखा पुस्तकों को परीक्षण एवं निरीक्षण हेतु निर्धारित की जायेगी।
- (6) यदि खनिज परिहार धारक द्वारा बिन्दु 01 के अधीन जमा विवरणी त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है तो आगणन अधिकारी जैसा उचित समझे जांच कर जमा की जाने वाली राजस्व का खनिज परिहार धारक को युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करते हुए निर्धारण कर सकता है।
- (7) बिन्दु 04 के अधीन जांच हेतु आगणन अधिकारी 15 दिन का नोटिस देते हुये खनिज परिहार धारक को स्वयं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि (जिसको उक्त तिथि हेतु अधिकृत खनिज धारक द्वारा लिखित में किया जाय) को उपस्थित होकर विगत पाँच वर्षों के लेखे वही, उत्पादन, निकासी के आकड़ों सहित प्रस्तुत कर अभिलेखों की पुष्टि करायेगा।
- (8) बिन्दु 05 के अधीन जाँचोपरान्त आगणन अधिकारी समस्त पहलुओं का परीक्षण एवं साक्ष्य के अनुसार राजस्व भुगतान के आदेश अपने स्तर से ऊपर के स्तर के विभागीय खनन प्रशासन के अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त आदेश निर्गत करेगा।
- (9) यदि खनन परिहार धारक आगणन अधिकारी द्वारा आगणित किये गये आंकलन से संतुष्ट नहीं हैं तो वह 30 दिन के अन्दर निम्नलिखित आधारों हेतु आगणन अधिकारी के समक्ष पुनः आगणित किये गये आंकलन को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत कर सकता है :-
  - (i) खनिज परिहार धारक को आगणन के नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं।
  - (ii) खनिज परिहार की युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है।






यदि आगणन अधिकारी खनिज परिहार धारक की उक्त बातों से संतुष्ट होता है तो पुनः आगणन उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के आधार पर कर सकता है।

यदि आंगणन अधिकारी को पुनः आंगणन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो वह पुनः आंगणन प्रारम्भ कर सकता है।

- (10) यदि किसी कारणवश किसी वर्ष में खनिज परिहार क्षेत्र से खनिज की निकासी अधिक करके कम राजस्व का भुगतान किया गया हो या रॉयल्टी की चोरी की गयी हो तो आगणक अधिकारी नोटिस देकर पुनः आगणन प्रारम्भ कर सकता है।

उक्त उपनियम के अधीन 5 वर्ष से पूर्व देय राजस्व आगणन हेतु पुनः संशोधन आगणन हेतु नोटिस नहीं दिया जायेगा।

आज्ञा से,  
  
(सुरेश शर्मा)  
अपर मुख्य सचिव।

प्रपत्र-1 (लाटरी प्रपत्र)

1	खनन क्षेत्र का विवरण (जैसा कि लाटरी में दिया गया हो)	फोटो स्वयं सत्यापित
2	तहसील	
3	जिला	
4	खनिज	
5	आरक्षित मूल्य	
6	आवेदक का नाम	
	(i) निजी व्यक्ति	
	पिता का नाम/पति का नाम	
	पूरा पता	
	स्थायी पता	
	टेलीफोन नं०	
	मोबाइल नं०	
	बैंक .....	
	पैन कार्ड	
	(ii) कोपरेटिव सोसाइटी का नाम	
	पूरा पता	
	स्थायी पता	
	टेलीफोन नं०	
	मोबाइल नं०	
	बैंक .....	
	पैन कार्ड	
7	आवेदन पत्र शुल्क.....ट्रेजरी चालान सं०.....दिनांक.....	
8	अर्नेस्ट मनी का विवरण (विज्ञापितकरण के अनुसार)	
9	आवेदनकर्ता के खनन पट्टों का विवरण	
10	शपथ पत्रों का विवरण	
11	कोपरेटिव सोसाइटी का कॉपी ऑफ रेजूलेशन	

मैं/हम घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिये गये विवरण सही एवं सत्य हैं। यदि भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई सूचना का विवरण मांगा जायेगा उसको उपलब्ध कराऊंगा/करायेंगे। मैंने लाटरी की सम्पूर्ण शर्तें पढ़ ली गयी हैं और मैं उनको स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

  
हस्ताक्षर

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of 'the Constitution of India', the Governor pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1033, Dehradun, dated: 31/7/2015 for general information.

**Government of Uttarakhand**  
**Industrial Development Section**  
No. 1033/VII-1/2015/146-Kha/2010  
Dehradun, Dated : 31 July, 2015

**NOTIFICATION**

For the purposes to increase the economic and complete industrial development and personnel development of the State, to ensure the prevent of illegal mining / illegal transportation and increase the revenue from mining, to provide employment to the un-employers, to protect of environmental and status, to ensure exploitation with modernized and scientific method of various type of mining in the State of Uttarakhand, the Governor is pleased to promulgate the Uttarakhand Minor Mineral (sand, Bajri, Boulder, Brick etc.) Policy- 2015 in supersession with the Uttarakhand Mining Policy- 2011 and the GO Number- 608/VII/2013/146-B/2010 dated 22 March, 2013 as follows---

**The Uttarakhand Minor Mineral (Sand, Bajri, Boulder, Brick etc.) Policy- 2015**

- |   |   |
|---|---|
| <b>Short Title<br/>and<br/>Commencement<br/>Definitions</b> | <b>1.</b> (1) These Policies may be called the Uttarakhand Minor Mineral (Sand, Bajri, Boulder, Brick etc.) Policy- 2015<br>(2) It shall come into force at once.   |
|   | <b>2.</b> In these policies, unless the context otherwise requires,--<br>(a) "Governor" means the Governor of the Uttarakhand ;<br>(b) "Collector" means the chief in-charge of administration of a any district revenue officer;<br>(c) "Government" means the State Government of Uttarakhand;<br>(d) "Commissioner" means the chief in-charge of administration of revenue officer in any divisions;<br>(e) "Local officer" means the Nagar Panchayat, Municipality, Municipal corporation and bodies of district board or other authorities, who is legally entitle of management or control by vest in the Nagar Panchayat, Municipality, Municipal corporation and district panchayat respectively; |



- (f) “persons” included any company or community or person bodies whether corporate or not;
- (g) “Hills area” (Zone-A) means including minor mineral area will be subject to the district of under hills minor mineral to the Uttarkashi, Chamoli, Rudrapryag, Bageshwar and Pithoragarh;
- (h) “Middle hill area” (Zone-B) means including district Tehri Garhwal, (except plains of the Tehsil Narendranagar) Pauri Garhwal (except plains areas of the Tehsil Kotdwar), Almora (all area), Champawat (except plains areas of the Tehsil Purnagiri), district Nainital (except plains areas of the Tehsil Haldwani, Kaladhungi and Ramnagar), district Dehradun (except plains areas of the Tehsil Rishikesh, Doiwala, Dehradun, Vikasnagar and Kalsi);
- (i) “Plain Area” (Zone-C) means including district Tehri Garhwal, (plains area of the Tehsil Narendranagar) Pauri Garhwal (plains areas of the Tehsil Kotdwar), Champawat (plains areas of Tehsil Purnagiri), district Nainital (plains areas of the Tehsil Haldwani, Kaladhungi and Ramnagar), district Dehradun (plains areas of Tehsil Rishikesh, Doiwala, Dehradun, Vikasnagar and Kalsi), all areas of district Haridwar and district Udham Singh Nagar.
- (j) “word and expressions” not defined but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act;

**Assess the content of minerals**

3. The minor minerals areas of the State is hereby divided following three zones of the State in view of market demand of geographical status and minor minerals---

- (1) Hills minor minerals area (zone-A)— The all area of the minor minerals of district Uttarkashi, Chamoli, Rudrapryag, Bageshwar and Pithoragarh shall be include in the hill area minor minerals. For the above areas 50% of the lottery basic price as prescribed at that time on the basis of lottery and the 50% of the prescribe royalty rate at that time shall be applicable.

In the said hill district on transportation of mine no transit fee shall be taken by the forest department.



In the said hill districts issue of the minor minerals in the river mining areas shall be upto maximum 1 meter depth or upto ground water label whichever is less.

In the said hill area quantity of the minor minerals mine in the river mine area the mining shall be calculated on the basis of following grounds—

**quantity of minerals (in tonne) = Area (in square meter) × 1.00 meter depth × 2.2 bulk density.**

- (2) Middle hill minor minerals area (zone-B)— district Tehri Garhwal, (except plains of the Tehsil Narendranagar) Pauri Garhwal (except plains areas of the Tehsil Kotdwar), Almora (all area), Champawat (except plains areas of the Tehsil Purnagiri), district Nainital (except plains areas of the Tehsil Haldwani, Kaladhungi and Ramnagar), district Dehradun (except plains areas of the Tehsil Rishikesh, Doiwala, Dehradun, Vikasnagar and Kalsi) shall be included. For the above areas 75% of the lottery basic price as prescribed at that time on the basis of lottery and the 75% of the prescribe royalty rate at that time shall be applicable.

In the said middle hill districts (Zone-B) issue of the minor minerals in the river mining areas shall be upto maximum 1 meter depth or upto ground water label whichever is less.

**quantity of minerals (in tonne) = Mining areas × 1.00 meter depth × 2.2 bulk density.**

- (3) Plains minor minerals area (zone-C)— district Tehri Garhwal, (plains area of the Tehsil Narendranagar) Pauri Garhwal (plains areas of the Tehsil Kotdwar), Champawat (plains areas of Tehsil Purnagiri), district Nainital (plains areas of the Tehsil Haldwani, Kaladhungi and Ramnagar), district Dehradun (plains areas of Tehsil Rishikesh, Doiwala, Dehradun, Vikasnagar and Kalsi), all areas of district Haridwar and district Udham Singh Nagar shall be included. For the above areas cent percent of the lottery basic price as prescribed at that time on the basis of lottery and the cent percent of the prescribed royalty rate at that time shall be applicable.

In the said plain areas (Zone-C) issue of the minor minerals in the river mining areas shall be upto maximum 1.5 meter depth or upto ground water label whichever is less.

In the said plain area quantity of the minor mine in the river mine area the mining shall be calculated on the basis of following



grounds—

**quantity of minerals (in tonne) = Mining areas × 1.5 meter depth × 2.2 bulk density.**

15% of the river training royalty and 10% of development fee royalty shall be admissible in addition to the all private lease holders also. In the plain areas sales price of minor minerals from minerals lease areas, shall be equal for corporation and private lease holders.

**procedure to be  
minerals  
picking works**

4. (1) Work of picking / mining by corporation shall be through lottery process from selected person /institutions from every rainy season of the year with lottery form 1 October to 15 June mining session. The said lottery for less than 05.00 hectare shall be allotted to the permanent resident / comities of the permanent resident of the district who is registered from Cooperative Society Act and more than 5 hectare shall be allotted to the permanent resident / comities of the permanent resident of the State who is registered from Cooperative Society Act or Companies Act or Partnership Act and other relevant Acts. The quantity of available minor minerals for selection in lottery the calculated amount of the royalty which shall be mentioned in the lottery, the procedure for lottery shall be followed with the eligible lottery giver.
- (2) With the environmental sanction of left lots by the corporation shall allot by the district magistrate to the permanent resident / comities of the permanent resident of the district who is registered from Cooperative Society Act and more than 5 hectare shall be allotted to the permanent resident / comities of the permanent resident of the State who is registered from Cooperative Society Act. For selection of lottery the calculated amount of the royalty which shall be mentioned in the lottery, the procedure for lottery shall be followed with the eligible lottery giver. Work of picking / mining by corporation shall be through lottery process from selected person /institutions from every rainy season of the year with lottery form 1 October to 15 June mining session.
- (3) The minerals lease in the concerning private measurement land from rocks/ river label shall be sanctioned for a period of five years without any communication according the Utrakhand Minor Minerals Concession Rules, 2001(as amended from time to time) to the private persons /local persons in which priority shall given to the permanent resident of the State of Utrakhand. Calculation lottery management shall be according to the provisions given in Chapter-2



of the Utrkahand Minor Minerals Concession Rule, 2001 of admissible royalty quantity for mining / picking. For this application fee shall be Rs. One lakh.

- (4) In plain area except as Vikas Nagar, Dehradun, Doiwala, Reshikesh, Haldwani, Udham Singh Nagar, Ramnagar and Haridwar, in hill area for construction of private building, estimate of the building who is verified by the area Patwari/ officers of the revenue department, the permission shall be provide by the concerning village Pradhan and for urban areas by the SDM of the picking of construction material (minor mineral sand/ Bajri/ boulder). The transportation of the minor minerals for use shall be made on form MM 11.

**Intention letter**

5. (a) For license of mining lease / mining of minor minerals sand/Bajri/boulder and stone in the private measurement land, the letter of intent for get environmental permission under the EIA notification 2006 shall be issued by the Government after the recommendation of the director, geologist and mining.
- (b) The letter of intent of corporation shall be issued by the director, geologist and mining.

**success  
operation of  
mining  
administration**

6. (1) The calculation of the minor minerals for issue from the mining lease areas shall be made according the weight not in the volume.
- (2) The picking work of minor minerals from minor minerals area of the all river lable of state shall be made according the rule 34 of the Utrakhand Minor Minerals Concession Rule, 2001(as amended from time to time) with the approved mining scheme by the director. For this the application fee shall be Rs. 50,000.00.
- (3) Every lease holder shall establish computerized standard balance and CCTV camera on the entrance and exists gates in his own expenditure and shall produce CD of the recording in every month in the office of the district magistrate and district office of the geology and mining directorate and intimate to the Government accordingly.
- (4) For transportation of minerals shall be paste in the vehicle of the owners used from transportation of minerals in phased manner on RIFD by vehicle owners.
- (5) In place of form MM 11 for transportation of minor minerals from the mining lease area, form A for transportation of the major minerals and from J for the transportation of minerals from storage/ crusher/ screening plant place, E-Ravana shall be apply as phased manner.



- (6) The monthly statement of bye miner minerals and storage shall be produced in the office of district magistrate, commercial department and geologist and mining directorate in the prescribed form in every month by the owner of lease holder/ mining storage holder. Failure of non-produce of the monthly detail Rs. 2000.00 per month fine be punishable.
- (7) Seizing of concerning vehicle from illegal mining and imposed fine, the mining officer, senior mining officer/ deputy director mining and chief mining officer/ joint director mining is hereby authorised in the Mining and Minerals (Development and Regulation) Act, 2015.
- (8) Application for mining lease/ mining license shall be produced in the district level offices of the geologist and mining directorate in the prescribed form by the applicant and the mining officer self forward the same after the investigation on the concerning document of the application form to the district magistrate for further proceeding.
- (9) Before the commencement of the picking /mining work to the every lease holder / license holder shall registered necessarily in the office of director geologist and mining and commercial department.

**miscellaneous**

7. (1) Application for sanction/operation of brick Bhatta shall produced with Rs. 5 lakh prescribed application fee in the office of district magistrate in the prescribed Form MM-8. On the basis of joint inspection report of the mining officer and SDM, the district magistrate shall sanction on Form MM-10 for the period of one year for sanction /operation of the brick Bhatta. The admissible royalty on the basis of pillar shall be calculated by the mining officer according the satisfaction scheme. The registration of brick Bhatta after the license shall be necessary in the office of mining directorate that commercial tax department by the owner of brick Bhatta. The account of sales bricks by the brick Bhatta owner shall be placed in the verified register on the place of brick Bhatta and the monthly details of the sales bricks shall be forward to the district office, commercial tax department and district offices of the geologist and mining . Rs. 20 lakh bricks production with minimum 15 pillars from bricks Bhatta and Rs. One lakh per pillar in addition shall be calculated. At a time /terminal installment shall be paid in the satisfaction scheme.

- (2) The Muck (minor minerals stone/boulder/sand etc.) from the





construction of tank/ tunnel/ cannel, for the use in the construction work of the project estimate shall be inquired /inspected and evaluated by the senior mining officer/ mining officer / mining inspector and with the exemption of rule 68 and rule 72 of the Uttrakhand Minor Minerals Concession Rule, 2001 the mining lease/mining license letter shall be sanctioned by the State Government on basis of recommendation made by the director, geologist and mining.

- (3) The Muck during the construction of road, acces road etc. by the Governmental agencies as PWD, RES, DGBR, irrigation department etc. (minor minerals stone/boulder/sand etc.) for the use in the construction work of the project estimate shall be inquired /inspected and evaluated by the senior mining officer/ mining officer / mining inspector and with the exemption of rule 68 and rule 72 of the Uttrakhand Minor Minerals Concession Rule, 2001 the mining lease/mining license letter shall be sanctioned by the State Government on basis of recommendation made by the director, geologist and mining. This procedure shall be followed also to the cleaning/ clearance of deposited minor mining in the tanks and cannels of the State.
- (4) Digging of soil from the basement of the building and for commercial use from the private land, the digging of soil from titled holders/ private measurement land which is outside the river base the amended provisions of the Uttrakhand Minor Minerals Concession Rule, 2001 shall be applicable.
- (5) Within the identified 20 Kilometer radios by the department, outside the area from the mining area, the mining lease shall be allotted directly to the DGBR (grcf), DRO etc. who is working as a Governmental working institutions for the road constructions in the border district of the State of Uttrakhand.

**District  
minerals  
foundation**

8. (1) In the every district of the State who is affected form mining proceedings, a no profit trust shall be established through a notification by the State Government who shall be called District Mineral Foundation.
- (2) The main object of the District Mineral Foundation shall be the do work for the interest of such persons of areas who is affected from the minerals proceedings, as may be prescribed by the State Government.



- (3) The constitution of District Mineral Foundation shall be as follows—
- (a) District Magistrate of the concerning district—Chairman;
  - (b) Chief Development officer of the concerning district—Member;
  - (c) District finance officer of the concerning district—Member;
  - (d) District Mining officer of the concerning district—Member;
  - (e) Senior mining officer/ regional deputy director (mining)—Member-secretary.

The duties of the District Mineral Foundation shall be as follows—

- (1) to use the deposited money in the District Foundation for interest of the affected persons/ areas from mining proceedings by the District Foundation and area wise and person wise detail of every six month shall be forwarded to the director geologist and mining who shall be intimate to the Government.
- (2) the amount of additional royalty of the deposited royalty / lease amount to the State Government by the lease holder shall be deposited in the District Mineral Foundation.

**Strategy for  
river based  
management**

9. (1) Map of eligible mining area of minor minerals from river based under the State shall be made by the director, geologist and mining through the specialist agency.
- (2) For dredging under the disaster for safety in the rainy season of populated area, agriculture land near about the river, the deposited RBM (as a mixed sand/Bajri/boulder) in the rivers, the necessary proceeding shall be made by the director geologist and mining by the scientific study from the specialized institutions.

By order,

  
(Rakesh Sharma)  
Additional Chief Secretary.

## Communiqué and lottery Form, conditions, annexure of appendix

**1: Communiqué-** The lottery shall be invited with the communiqué to given minimum 21 days for the maintaining of minerals lease by lottery to the river based minor minerals.

### **2: Detail of Area-**

sr.no.	Tehsil	name of village of mining area	of khasra no./ Gata no.	area of the mineral lot (in a hectare)	prescribed quantity in every year (in ghan meter)	based price in a every year (in Rs.)	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8

### **3: Restriction for lottery-**

(1) before the pour of lottery of the lottery giver area, the status of mining area and regarding the minerals with inspection, be ensure.

(2) any person who is not a Indian citizen and who have balance of mining dues, he cannot permitted to participate in the lottery procedure.

(3) the matter of cooperative society also the license holder should not common director of the cooperative society. Only permanent resident of the Utrakhand shall be the member of the cooperative society and at the time of application, the affidavit of such intention shall be produced necessarily if the above is come after the aforesaid execution of the lease, the advance deposit amount, security amount etc. shall be seized with the cancellation of the said lease. Such eligible cooperative society shall be pour in the black list for the succeeded five years.

**4: Lottery Form and fee:** every lottery giver shall be obtain lottery form MM-17 Form-I (lottery form), MM-17 Form II (financial lottery) with non-refundable deposit lottery fee/ lottery form price Rs. 5000 deposited in the treasury of concerning district through the treasury challan on account head 0853- other than Iran minerals and metal work industry, 102 mineral concession fee rent and title fee, 01 mineral concession fee rent and title fee + 13.5% Vat by means Rs. 675 account head 0040-tax on sales, trade etc. , 102 State trade tax/ receipt under the State trade tax/ commercial tax act, 01 tax collection.

### **5: The following annexure shall be appended in the lottery Form-**

(I) The following affidavit regarding the income tax-

(a) latest deposited income tax details.

(b) deposited calculated income tax.

(c) calculated income tax deposited on the basis of self evaluation.



The Pan number received from the income tax department necessarily mentioned in the lottery form by the lottery giver but if any lottery giver has no pan number than he produced a affidavit that if the minerals lease allotted in his name than he will apply for pan number from the income tax department before the commencement office mineral lease and intimate to the department otherwise his mineral lease shall be cancelled.

- (II) no dues certificate from the trade tax department (upto the six month from the communique) or latest affidavit.
- (III) permanent resident certificate conferred by the district magistrate or authorised appropriate officer by the district magistrate.
- (IV) latest character certificate conferred by the district magistrate or authorised appropriate officer by the district magistrate.
- (V) self attested passport size photo.
- (VI) latest affidavit of the mineral non-balance against the lottery giver person or lottery giver committee or mineral no dues certificate.
- (VII) promise of establish electronic weight machine on the exist gate or promise of agreement with the established electronic weight machine near about the exist gate.

**6: Title certificate:**

- (1) equivalent to 10% of based price of applicable area bank guarantee or solvency certificate or property certificate or title certificate issued by district magistrate or authorised appropriate officer by the district magistrate.
- (2) If the title certificate is not updated than the applicant is produced a affidavit that during this period (updated from the date of title certificate), the lottery giver not be sale / transfer of any movable/ immovable property as mentioned in the title certificate, shall be accepted as a interim certificate.
- (3) A place of title certificate the same price bank guarantee may be accepted.
- (4) If any applicant no immovable property than he can obtain title certificate with morgue the name of licencing authority to the property of his family members.
- (5) In place of less amount of the title certificate the FDR of the equivalent amount shall be bounded in the name of district magistrate may be deposited.

**7: Ernest Money-** For the every tender area 2% of the based price as a Ernest money shall be produced through the draft or bankers cheque from any scheduled bank / State and District Cooperative Bank/ Urban Cooperative Bank or Nationalised Bank satiated at the State of Uttrakhand in favour of concerning managing director / district magistrate. Except success lottery giver the Ernest Money deposited by the other lottery giver shall be refunded. The Ernest money of the success lottery giver shall be existed in the advance money.



### **8: Selection procedure by lottery:**

- (1) The allotment of lottery shall be the basis of principle of one person for one mineral lease according the area of big mineral lease to small mineral lease.
- (2) Maximum lottery from the all lottery givers shall be selected only amongst the lottery givers.

### **9: Procedure of payment**

Success lottery giver in the lottery / application, the following amount shall be deposited—

#### **1- limitation fee-**

- (1) The prescribed limitation fee in rule 17 of the Utrakhand Minor Mineral Concession Rule, 2001(as amended from time to time) shall be deposited for boundation of limit.
- (2) The limitation fee for success lottery giver in the allotted lots to the Kumaun Mandal Vikas Nigam and Garhwal Mandal Vikas Nigam shall not be applicable.

#### **2- Security money-**

Annual success price shall be deposited prior to the mineral lease draft from any scheduled bank/ State and district cooperative Bank/ Urban cooperative Bank or fixed deposit or Bankers cheque / bank guarantee or nationalized bank which shall be adjusted last two months.

- 3- **Solvency** – The success lottery giver shall submit an affidavit of the intention that he shall not minimize his solvency during the period of lease.

#### **4- Payment of amount-**

- (one) The success lottery giver shall deposit the installment prior to the mining lease deed / MOU in the account of Nigam or by treasury challan upto the 20<sup>th</sup> dates of the every month.
- (two) The payment of reaming installment shall be admissible upto the 20<sup>th</sup> dates of the every month through the treasury challan.
- (three) The date shall be prescribed one day prior from the payment day, if on the fixed day for payment is Government holiday than prior of fixed day shall be prescribed.
- (four) For transportation of quantity of monthly minerals shall issued MM-11 against the deposited monthly advance installment. If the success lottery giver to obtained MM-11 before the prescribed date than he can obtain MM-11 after deposited the installment of succeeded payment.
- (five) After the commencement of mining procedure by the success lottery giver shall deposit advance upto the succeeded 20<sup>th</sup> dates. In case of non-deposition of advance upto the



prescribed date, the mining officer shall issued a notice to deposit with late payment at the rate of 15% within 10 days.

If after the notice the advance is not deposited also than the mining officer shall issued a re-notice to deposit with late payment at the rate of 18% within 7 days.

If the advance is not deposited after the said notice also, the mining lease shall be canceled with adjusted the security and advance amount by the district magistrate.

After the cancellation of the lease upto the completion of second lottery process by means till the date again regular work is not commence, shall be given to the local persons on the basis of daily out coming of the said area for the further period by the district magistrate at the local lable and would be revenue loss in every day in the said area shall be recovered from deposited solvency certificate by the allotted success lottery giver.

(six) If on the cancelation of mining lease and after the seized advance deposit any balance is due than the proceeding of recovery as a mining revenue shall be recovered separately from the mining lease holder and lease holder shall be declare black listed for five years.

For corporations said amount shall be deposited according directions of corporation in the favor of concerning corporation.

#### **10- Execution and registration of lease deed:-**

(a) For allotted mining lots to the Kumaun Mandal Development Corporation and Garhwal Mandan Development Corporation the selected person shall execute MOU with the Managing Director of the Nigam.

(b) Other than allotted mining lots to the Kumaun Mandal Development Corporation and Garhwal Mandan Development Corporation, the following procedure shall be followed--

(i) after deposited that limit boundation fee by the success lottery giver shall identified the limit column of area for titling mining lease maximum 15days on the submission on the application (Rule 17) with the help of revenue department and forest department, by the mining officer or mining inspector on the site.

(ii) the success lottery giver shall intimate in written to the mining officer for completion within maximum 3 days of mining area according the prescribed standard (Rule17) of limit columns in area on the limities and identified places.

(iii) after get the information of established the limit columns in the area within maximum 3 days the advance deposit amount on the basis of deposited advance on stamp duties (intimated by the stamp registration department), the assessment get in proforma MM-6 of equivalent to the same proforma as may be required by circumstances in every matter, the prescribed stamp (intimation



of sub-registrar stamp and registration) shall prepared within 7 days by the mining officer for execution of lease deed.

(iv) mining lease deed shall be executed by the district magistrate within maximum 15 days.

(v) after lease execution from district magistrate the registration of mining lease deed shall be executed on the expenditure of the success lottery giver.

(vi) the period of lease shall be calculated from the date of lease deed registration.

(vii) the mining officer, as the case may be, shall forwarded a copy of lease deed with map of the area within the 15 days from the date of registration after his execution and the original copy shall be protected in the office of the mining officer. The lease holder shall kept a verified copy.

**11- Transfer of mining lease:-** In case of death of the mining lease holder, the lease shall be transferred for remaining period to the only legal representative of his family.

**12- Procedure of payment:-**

(one) The success lottery giver shall deposit the installment prior to the mining lease deed / MOU in the account of Nigam or by treasury challan upto the 20<sup>th</sup> dates of the every month.

(two) The payment of reaming installment shall be admissible upto the 20<sup>th</sup> dates of the every month through the treasury challan.

(three) The date shall be prescribed one day prior from the payment day, if on the fixed day for payment is Government holiday than prior of fixed day shall be prescribed.

(four) For transportation of quantity of monthly minerals shall issued MM-11 against the deposited monthly advance installment. If the success lottery giver to obtained MM-11 before the prescribed date than he can obtain MM-11 after deposited the installment of succeeded payment.

(five) After the commencement of mining procedure by the success lottery giver shall deposit advance upto the succeeded 20<sup>th</sup> dates. In case of non-deposition of advance upto the prescribed date, the mining officer shall issued a notice to deposit with late payment at the rate of 15% within 10 days.

If after the notice the advance is not deposited also than the mining officer shall issued a re-notice to deposit with late payment at the rate of 18% within 7 days.

If the advance is not deposited after the said notice also, the mining lease shall be canceled with adjusted the security and advance amount by the district magistrate.

(six) If on the cancelation of mining lease and after the seized advance deposit any balance is due than the proceeding of recovery as a mining revenue shall be recovered separately from the mining lease holder and lease holder shall be declare black listed for five years.



**13- Surrender of lease:-** For mining leases of picking minor minerals in the allotted river level to the selected person, in case of not found appropriate in operation of selected person than the surrender made by the concerning selected person may be accepted. For this the surrender shall be accepted with the seized of advance deposit by them. The corrector of selected person in the said surrender the performing of terms in the allotted lots is appropriate as follows –

- (1) According the terms of agreement the selected person /institution in the allotted lots to the selected person as he is regular to submit the required detail.
- (2) He take required step for the progressive scheme according the term of mining concession.
- (3) He is not failure the payment of any bills of the Government till the date of such application and upto to the expiration of the notice period he is deposited the all payments or give a promise to exists from advance cash for security or both.

**14- Method of out coming:-**

- (1) The minerals concession holder shall out coming of the minerals on the MM-11 fixed proforma according the rules.
- (2) The copy of transportation proforma MM-11 shall be obtained from mining officer / mining inspector by the deposition of the prescribed fee.
- (3) Against the copy of proforma MM-11 of advance deposit at a time on the basis of mining lease area and prescribed quantity to the mineral concession holder by the mining officer who shall be adjusted with advance deposit installment of succeeded books after the presentation by the mineral concession holder.

**15- Remarks:**

- (1) The mineral concession holder shall presented monthly details to the mining officer in proforma MM-12 in the first week of the preceding month regarding the forgoing month.
- (2) When the mineral concession holder is failure to presentation of the details within the prescribed time in the point 1, than will be liable to punished for Rs. 400 only.
- (3) The mineral concession holder shall present details with compilation of the health and security of all labours who is working in the side within a law.
- (4) All concession holder shall prepared daily attendance book according the promulgated proformas under the Mining Rule, 1955 and shall produce for inspection to the appropriate officer. The concession holder shall also provide succeeding 7 days of every terminal to the mining officer and district label officer to the labour ministry of the State Government with the all working labours name and addresses.
- (5) On the basis of deposit details under point 1, shall prescribed for trial and inspection to the mineral production, mineral out going, used minerals and bill of minerals storage sale, attendance of labours, payment and other account books by the Assessment Officer (Mining Officer) with the prescribed a date in a every terminal to the mineral concession holders.





(6) If the deposited details is incorrect under point 1 by the mineral concession holder than the Assessment Officer as he deem fit may prescribed revenue be deposited by the mineral concession holder with give reasonable time.

(7) For inquiry under point 4, the Assessment Officer shall make verification of the record presented with datas of preceding five years account books, production and outgoing minerals to the mineral concession holder or his authorised representative.

(8) After the inquiry under point 5, the Assessment Officer shall issue order after the approval of the officer of departmental mining administration of one rank above of the lable of him by order of revenue payment according the trials and evidence of all points.

(9) If the mineral concession holder is not satisfied with the order passed by the Assessment officer than he can make presentation for re-consideration of the assessment assessed by the Assessment Officer within in 30 days on the following grounds---

(I) Mineral concession holder has not received notice of assessment.

(II) The reasonable occasion is not given to the mineral concession holder.

If the Assessment Officer is satisfied with the grounds of the said mineral concession holder, than he can make re-assessment within the basis of aforesaid mentioned procedure.

If the Assessment Officer deemed fit to re-assessment than he can commence the re-assessment.

(10) If due to any reason in any year the revenue payment is less against the outgoing minerals from the mining concession area or thept of royalty by the concession holders than the Assessment Officer may re-assessment to give notice to the such concession holders.

Under the said sub-rule the notice shall not give for re-amendment assessment for the admissible revenue calculation prior from the five years.

By order,

  
(Rakesh Sharma)  
Additional Chief Secretary.

**Form-1 (Lottery Form)**

1	Detail of the mining area (which has been in the lottery)	self attested photo
2	Tehsil	
3	District	
4	Minerals	
5	Reserve rate	
6	Name of applicant	
	(i) personal person	
	Name of father/ husband	
	Full address	
	Resident address	
	Telephone No.	
	Mobile No.	
	Bank	
	PAN card	
	(ii) Name of Cooperative Society	
	Full address	
	Resident address	
	Telephone No.	
	Mobile No.	
	Bank	
	PAN card	
7	Fee of application ..... Treasury Challan no..... Date....	
8	detail of Ernest money (according the communiqué)	
9	detail of the minerals lease of applicant	
10	detail of affidavits	
11	copy of resolution to cooperative society	

I/we declare that the detail given in the application is correct and truth. In future if any detail of any information in this regard shall be required, I will provide them. I have also all terms of the lottery and I also accepted to them.

